


लिंगा मॉनिस्ट  
टोक



जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 02.07.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व  
 ऋण को, बैंक के साथ किये गये ऋण अनुबंध की शर्तों के नियमानुसार नहीं चुकाया,  
 आम रास्ता तथा दक्षिण में भवन सिंह का खेत स्थित है। अप्रार्थी/ऋणीगण ने उपलब्ध  
 जिसकी सीमाएं पूर्व में उगमा गुरजर का लाट, पश्चिम में बड़ी रेजर का लाट, उत्तर में  
 टोक में से 1 आवसीय भूखण्ड स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1600 वर्गज है एवं  
 संख्या, खसरा नं. 443/2 रकबा 0.06 है. बाकें आम भडोली तहसील टोडारयासिंह जिला  
 एवज में बंधक सम्पत्ति, कैलाशी देवी के स्वामित्व व अधिपत्य की एक सम्पत्ति/भूखण्ड.  
 गया था व अप्रार्थी/ऋणीगण, जमानतदारों द्वारा प्राप्त किये गये उक्त ऋण की सुविधा के  
 से 3,50,000/रुपये (अठारें तीन लाख पचास हजार रुपये मात्र) का ऋण उपलब्ध कराया  
 कम्पनी से ऋण खाता संख्या FINWLALONNS00005018682 से दिनांक 03.03.2021  
 बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता ऋणी/सहऋणी/गारंटर है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/  
 प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण,  
 Securities Interest Act 2002 के तहत पैसा हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The  
 Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

दिनांक 06.05.2026

आदेश

असैट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ़ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002  
 प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 14 सिक्युरिटीइंफोर्शन एण्ड रिकन्स्रुक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल

ऋणी/सहऋणी/जमानती

जिला टोक राज.

3. बनवासी लाल सेनी पुत्र कल्याण निवासी 622, मालियां का मोहल्ला टोडारयासिंह

जिला टोक राज.

2. कैलाशी देवी पत्नी राम अवार निवासी 622, मोहल्ला भडोली तहसील टोडारयासिंह

जिला टोक राज.

1. प्रदीप वर्मा पुत्र राम अवार निवासी 622, मोहल्ला भडोली तहसील टोडारयासिंह

बनाम

...प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बैलाड एस्टेट, मुंबई - 400038

सीएफएम एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रथम मंजिल, बँकफोल्ड हाउस, स्पॉट रोड,

30.03.2026

40/2026

प्रतिष्ठि दिनांक

प्रकरण संख्या

(पीतरीन अधिकासी टीना ज़ाबी, आई.ए.एस.)

न्यायालय जिला मॉनिस्ट टोक



जिजा मजिस्ट्रेट  
जिजा महाराष्ट्र  
दोस

- (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated of found- to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him-
- (a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and
- (b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset-

आपकी/आपीएम के कुल बकाया राशि 4,15,168/- (अक्षरें चार लाख पन्द्रह हजार एक सौ अक्षरत रुपये मात्र) दिनांक 31.03.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते है। उक्त आपीएम को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 27.05.2025 को रजिस्टर्ड जॉक नॉटिस जारी किये जाने तथा समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद आपीएम द्वारा राशि मय ब्याज चुकाने में यूँक की गई है। आपीएम द्वारा बन्धक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं सम्भालाया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त ख़ाते में देय राशि क पुनर्भूतगान हेतु रहन शूदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक / कम्पनी को जारी पुलिस हेमदाद सम्भालने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नॉटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या 6256/2016 फंक्चनर व अन्य बनाम जिजा मजिस्ट्रेट उदयपुर व अन्य, में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2016 के अनुसार आपीएम की धारा 13 की उप धारा 2 के तहत नॉटिस जारी किया जाने व शामिल के पश्चात धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः आपीएम को नॉटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बावजूद स्पष्ट प्रार्थना है, जो इस प्रकार है।



टीक  
~~टीक~~  
(टीका जर्दी)  
[Handwritten signature]

आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।

अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनभत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है जो सुझाया करने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिनांक हेतु कार्रवाई के लिए जिला पुलिस अधीक्षक, टीक को पर्याप्त पुलिस जांचा सक्षम न्यायालय को स्थान आदेश न हो। वहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी प्राधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की फाईनेल आदेश एनकोर्समेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 2002 की धारा 31 के के पक्ष में वहन रखी गई सम्पत्ति को भी सिविल प्रोसीजर एनकोर्समेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 31 के प्राधानों के अनुसार टोलाया जावे। आदेश दिनांक 06.05.2026 को प्रार्थी

उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी को देना।

है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्राधिकृत/प्राधान की पालना नहीं की गई है तो सम्पत्ति 2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के साथ पत्र एवं पेशा दस्तावेजों के आधार पर दिये जा रहे हैं तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावे।

1. वहन सुझा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाते वक्त यदि नियमानुसार आक्षेप प्राप्त होता है तो सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं :

पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वहन सुझा सम्पत्ति को प्रार्थी आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्रों के अनुसार सम्पत्ति का पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थान प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आधार का शपथ पत्र पेश किया कि

in his opinion, be necessary.

cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,